



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-222-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2021-4(90)ई०एम०-03/1986

दिनांक: 28 जनवरी, 2021

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय : श्री गिरीश मोहन अग्रवाल (86135), सेवानिवृत्त (दिनांक 30.04.2018) सहायक अभियन्ता को पेंशन व ग्रेच्युटी अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री गिरीश मोहन अग्रवाल (86135), तत्कालीन सहायक अभियन्ता को उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर, मेरठ की ट्रेप टीम द्वारा दि० 24.08.2006 को रू० 5000.00 की रिश्त लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने पर, कारपोरेशन आदेश सं०-1420-अ०का० एवं सत०-05 (ए)/पाकालि/2007 दि० 17.05.2007 द्वारा अभियोजन की विधिकपूर्व प्रदान की गयी स्वीकृति तथा आरोप पत्र सं०-04/2007, मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निरोधक), मेरठ में दाखिल वाद सं०-12/2007 विचाराधीन होने की उप सचिव (05ए) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर, कारपोरेशन के पत्र संख्या-838-अ०प्र०-03/पाकालि/2018 दिनांक 14.06.2018 द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान रोकते हुये अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उप सचिव (05ए) के पत्र सं०-2805-अ०का० एवं सत०-05(ए)/ 20-13 का/2006 दिनांक 25.11.2020 द्वारा श्री गिरीश मोहन अग्रवाल (86135), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, के विरुद्ध मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक), मेरठ में वाद सं०-12/07 में पारित आदेश सं०-सीएनआर नं०-यूपीएमई 01-000290/2004 दिनांक 29.07.2019 एवं पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर, मेरठ के पत्रांक-स०अ०-अनु-2-ट्रेप-284/2006 दिनांक 29.09.2020 द्वारा शासकीय अधिवक्ता की प्रस्तुत एक्ज्यूटल रिपोर्ट के आलोक में, श्री अग्रवाल के विरुद्ध प्रचलित प्रश्नगत प्रकरण कारपोरेशन स्तर पर समाप्त कर दिया गया है।

अतः उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अंगीकृत परिषदादेश सं०-893-पेंशन-31/रा०वि०प०/461(पी)1/ 89, दिनांक 21.06.1991 (यथासंलग्न शासनादेश सं०-सा-3/1713/10-89-933/89, दिनांक 28.07.1989) में उल्लिखित प्राविधानानुसार मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गिरीश मोहन अग्रवाल (86135), सहायक अभियन्ता, जो दिनांक 30.04.2018 को सेवानिवृत्त हो गये थे, को यथानियम अनुमन्य पेंशन/ग्रेच्युटी अधिकृत करने में कोई प्रशासनिक आपत्ति नहीं है, तथापि इन लाभों को अधिकृत करते समय अवशेष देयों, यदि कोई हों, का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि विभागीय आवास यदि आवंटित रहा हो, जो खाली कर दिया गया हो तथा इन पर कोई रेन्ट/पैनल रेन्ट आदि बकाया न हो।

कृपया कृत कार्यवाही से कारपोरेशन मुख्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(हिमांशु वार्ष्णेय)

उप सचिव (अ०प्र०-03)

संख्या:222 (I)-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2021 तददिनांक: 28.01.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत

3- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, प्रथम तल, पारेषण भवन, 130-डी, विक्टोरिया पार्क मैरट-250003।

4- उपसचिव (पारेषण), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत

5- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, 132 के0वी0 उपकेन्द्र, लाल कुआ, गाजियाबाद-201001

6- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत

7- श्री गिरीश मोहन अग्रवाल (86135), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, डी-27, गौड ग्रीन सिटी, इंदिरापुरम्, गाजियाबाद -201014 (मोबाइल नं0-9990819058, 9873939058) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपनी पेंशन/ ग्रेच्युटी सहित अन्य सेवानैवृत्तिक देयों (यदि कोई शेष हों) के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें/प्रपत्र/ अभिलेख सम्बन्धित इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

✓8- कट फाइल/कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।


(हिमांशु वाष्ठीय)
उप सचिव (अ0प्र0-03)